

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ड)() (विधि) स्वा.शा./23/802

दिनांक: 21 / 07 / 2023

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 6 (1)(क)(ii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आगामी आदेश अथवा नगरीय निकाय की अवधि जो भी पहले हो तक के लिए निम्न नगर पालिकाओं में उनके नाम के सम्मुख अंकित व्यक्तियों को एतद्वारा सहवृत सदस्य मनोनीत करती है :-

01. नगर पालिका महवा(दौसा) में :-

व.सं	प्रस्तावित नाम	पिता / पति का नाम	पता	मोबाईल नं.	श्रेणी
01.	बुद्धाराम सैनी	स्व0 श्री बाबुलाल सैनी	वार्ड नं0 12 नगर पालिका महवा		
02.	दिनेश चन्द खण्डेलवाल	स्व0 श्री खेमचन्द खण्डेलवाल	नगर पालिका महवा		दिव्यांग

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक: 21.07.2023

क्रमांक: प.8(ड)() (विधि) स्वा.शा./23/803-815

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, / मां. मंत्री महोदय स्वा.शा. विभाग राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. संभागीय आयुक्त जयपुर / जिला कलेक्टर, दौसा,।
05. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
06. उप निदेशक क्षेत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर राजस्थान।
07. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक भाग 6 (क) राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
08. उपखण्ड अधिकारी महुआ को प्रेषित कर लेख है कि मनोनीत सदस्यों को एक माह में शपथ पत्र दिलवाने की कार्यवाही करें।
09. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका महुआ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को अपने स्तर पर सूचित करते हुए उपखण्ड अधिकारी से एक माह में शपथ दिलाने की कार्यवाही करें।
10. निदेशक जनसम्पर्क निदेशालय / पी.आर.ओ. निदेशालय।
11. प्रोग्रामर, (आई टी सैल) निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय मोथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी